

विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत के लिए इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पारी की शुरुआत करना चाहिए। विराट कोहली 40 बॉल पर 100 रन भी बना सकते हैं। - सौरव गांगुली

खेल जगत

महान टेनिस खिलाड़ी रफेल नडाल ने कहा कि वह सितंबर में बर्लिन में लीवर कप में खेलेंगे जो 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन के आखिरी टूर्नामेंटों में से एक हो सकता है। नडाल ने संकेत दिया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते बार्सिलोना ओपन में एलेक्स डि मिनोर के खिलाफ दूसरे दौर में हार के बाद क्या आप जानते हैं?... टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1988 में मेलबोर्न में खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता।

जायसवाल के शतक और संदीप के पंजे से हारा मुंबई

राजस्थान की लगातार तीसरी जीत, मुंबई को 9 विकेट से हराया

जयपुर, 22 अप्रैल। राजस्थान रॉयल्स ने -2024 में दूसरी बार लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने सीजन के 38वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया। यह राजस्थान की 17वें सीजन में 7वीं जीत रही, इसी के साथ रॉयल्स की टीम पाइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई। दूसरी ओर मुंबई ने 5वां मुकाबला गंवाया।



जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सोमवार को मुंबई ने टीस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 179 रन बनाए। राजस्थान ने 180 रन का टारगेट 18.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सोमवार को मुंबई ने टीस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 179 रन बनाए। राजस्थान ने 180 रन का टारगेट 18.4 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।

शतरंज में ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने रचा इतिहास

17 साल की उम्र में तोड़ा 40 साल पुराना रिकॉर्ड डी. गुकेश की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई



टोरंटो, 22 अप्रैल। टोरंटो में चल रही कैडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत की 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब के सबसे युवा चैंलेंजर बन गए हैं, साथ ही उन्होंने 40 साल पुराना गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड भी धस्त कर डाला। गुकेश ने 14वें और आखिरी दौर में अमेरिका के हिकारु नकामुरा से डूब खेला। वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैंलेंजर का निर्धारण करने वाले इस टूर्नामेंट में उनके 14 में से 9 अंक रहे। अब वह साल के आखिर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। चेन्नई के रहने वाले गुकेश ने कास्परोव का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कास्परोव 1984 में 22 साल के थे जब उन्होंने रूस के ही अनातोली कारपोव को विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिये चुनौती दी थी।

टोरंटो में प्रतिष्ठित कैडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने वाले ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावी विश्व चैंपियन बताया है। बता दें कि, गुकेश ने अमेरिका के हिकारु नकामुरा से आखिरी दौर में डूब खेलेकर टूर्नामेंट जीता और 17 वर्ष की उम्र में सबसे युवा विश्व चैंलेंजर भी बन गए। वह यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बन गए। पांच बार के विश्व चैंपियन आनंद ने 2014 में खिताब जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि,

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. भण्डारी को नोटिस

मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एन.ओ.सी. का मामला

जयपुर। मानव अंग एवं कृत्क प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के मामले में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं निर्यंत्रक डॉ. सुधीर भण्डारी, स्टेट ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. अमरजीत मेहता एवं सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को नोटिस जारी कर प्रत्यारोपण से जुड़ी सूचनाएं मांगी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभा सिंह प्रकरण में निरंतर गहन मॉनिटरिंग कर रही है। उनके निर्देशों के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सोमवार को समिति ने प्रकरण में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं निर्यंत्रक डॉ. सुधीर भण्डारी, स्टेट ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. अमरजीत मेहता एवं सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा को नोटिस जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की ओर से डॉ. सुधीर भण्डारी को नोटिस में उनके

सोतो के संयुक्त निदेशक रहे डॉ. मेहता को भी नोटिस जारी किया। सोतो के माध्यम से हुए प्रत्यारोपण की मांगी पूरी जानकारी एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा से भी स्पष्टीकरण मांगा। उच्च स्तरीय जांच समिति ने की कार्रवाई। डॉनेशन एवं ट्रांसप्लांट की सूचना सोतो के माध्यम से नेशनल रजिस्ट्री पर साझा किया जाना अपेक्षित है। डॉ. भण्डारी से इस संबंध में सोतो के माध्यम से हुए सभी प्रकार के मानव अंग प्रत्यारोपण की सूचना दस्तावेज के साथ उपलब्ध करवाने को कहा गया है। वहीं डॉ. अमरजीत मेहता को जारी नोटिस में सभी जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध कराने

को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 7 मई, 2022 से अब तक स्टोरिजिंग कमेटी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी मांगा गया है। इसी प्रकार चिकित्सा अधीक्षक को जारी नोटिस में कहा गया है कि एसएमएस अस्पताल में नजदीकी रिश्तेदारों तथा पति-पत्नी के बीच होने वाले अंग प्रत्यारोपण को अनुमति के लिए चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में कॉम्प्रीहेंसिव अथॉरिटी का गठन किया गया था। समिति ने विगत एक वर्ष में इस समिति की बैठक कब-कब आयोजित की। इन बैठकों के बाद इस साल मार्च तक जारी एनओसी का विवरण भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। साथ ही, अधीक्षक से पूछा गया है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत निकट रिश्तेदारों से भिन्न व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण का राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। इन प्रत्यारोपण के लिए राज्य प्राधिकार समिति से अनुमति प्राप्त की गई अथवा नहीं। अगर अनुमति नहीं ली गई तो समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर प्रत्यारोपण किस आधार पर हुए। चिकित्सा अधीक्षक को इन सभी बिंदुओं का जवाब तीन दिन में प्रस्तुत करना होगा।

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव संजीव चौपड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को एफसीआई एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

अनाधिकृत निजी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा

जयपुर। चिकित्सा विभाग प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा। इसके लिए संभाग स्तर पर समस्त संयुक्त निदेशक, जोन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही, जिला स्तर पर इस ऑपरेशन के लिए कमेटी गठित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य शुभा सिंह ने बताया कि विभाग को प्रदेश में ऐसे अनाधिकृत निजी अस्पतालों के संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें एक भी एलोपैथिक चिकित्सक नहीं है और मनमाने ढंग से इनका संचालन कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा। सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए संभाग स्तर पर समस्त संयुक्त निदेशक जोन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही, अनाधिकृत रूप से संचालित ऐसे अस्पतालों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर

प्रदेश में चिकित्सा विभाग की ओर से ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जाएगा। पर कमेटीयों का गठन किया जा रहा है। इस कमेटी में संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला औषधि अधिकारी शामिल होंगे। जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि यह कमेटी संबंधित जिले में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। अगर कोई अस्पताल बिना एलोपैथिक चिकित्सक के चलते पाया जाता है या वहां अन्य नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आईपीसी एवं आईएमए की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कमेटी हर माह इस संबंध में संबंधित संयुक्त निदेशक को रिपोर्ट भेजेगी। संयुक्त निदेशक जोन हर माह को 5 तारीख तक यह सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय को भिजवाएंगे।

वरिष्ठ चिकित्सक व एन.एन.एम. निलंबित

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बूंदी जिले के नैनवां उपजिला चिकित्सालय में एक महिला का बच पर प्रसव होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। प्रकरण में एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं एक एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं पीएमओ नैनवां को पद से हटा दिया गया है। एक चिकित्सक के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। अन्य कार्रवाइयों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कोटा जोन के संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी को शामिल कर एक जांच कमेटी गठित की थी। साथ ही, जिला कलेक्टर डॉ. अशोक कुमार को जांच कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर से मिली जानकारी, जांच कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों एवं अन्य कार्रवाइयों पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रकरण में ड्यूटी पर उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. मुरारीलाल मीणा एवं एएनएम कुसुमलता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर

नैनवां में अस्पताल के बाहर बैच पर प्रसव का मामला पीएमओ को हटाया, अन्य नर्सिंग स्टाफ को 17 सीसीए के तहत नोटिस अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टर से पूरे प्रकरण की जानकारी ली एडसीएम व जांच कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन लिया उनका मुख्यालय निदेशालय, जयपुर किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणिय लापरवाही का दोषी मानते हुए पीएमओ नैनवां डॉ. समुन्दर लाल मीणा को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार को उनका जांच दिया गया है। डॉ. माथुर ने बताया कि प्रकरण में अन्य नर्सिंग स्टाफ गायत्री मीणा, केला देवी मीणा, शिवदत्त, कौशल्या गुर्जर एवं हेमन्त महारव को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस दिए गए हैं।

सरकारी गेहूं खरीद को बढ़ाने के लिये कदम उठाने के निर्देश



केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव संजीव चौपड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को एफसीआई एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव संजीव चौपड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को एफसीआई एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

राजस्थान क्षेत्र में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत की जा रही गेहूं खरीद तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न खाद्य योजनाओं एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खाद्यान्न वितरण की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में सभी गेहूं खरीद एजेंसियों को निर्धारित खरीद लक्ष्य को पूरा करने हुए अधिकतम किसानों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया।

जयपुर की जमीन से जुड़े सौदे को लेकर याचिका खारिज

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर की जमीन से जुड़े सौदे के खिलाफ पासोघाट थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाले राष्ठीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 75 लाख रुपए और शशि नाटाणी को 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके बावजूद भी प्लांट का बेचना नही किया गया और राशि हड़प ली। जस्टिस केवी विश्वनाथन की खटपीट ने यह आदेश अरुणाचल प्रदेश सरकार को एफएआईआर को खारिज करते हुए दिए। प्रकरण से जुड़े अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

खंडेवलाल ने बताया कि परिवारी अनिल अग्रवाल ने वर्ष 2017 में पासोघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स शिव भंडार ने जयपुर के सोकर हाउस में एक प्लांट खरीदने के लिए जयपुर निवासी चन्द्रमोहन बडायी को 75 लाख रुपए और शशि नाटाणी को 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके बावजूद भी प्लांट का बेचना नही किया गया और राशि हड़प ली। जस्टिस केवी विश्वनाथन की खटपीट ने यह आदेश अरुणाचल प्रदेश सरकार को एफएआईआर को खारिज करते हुए दिए। प्रकरण से जुड़े अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित की गई।